सं0-18/2026/ए029-20262027-001-154(2042976)

प्रेषक,

राज कुमार झा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ।

**खाद्य एवं रसद अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष राज्य खाद्य आयोग की मद में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ पत्रांक–ले0शा0/39/ई-675109/2408/ रा0खा0आ0/2026, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष राज्य खाद्य आयोग की मद में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन- 04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मानक मद-0401-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0 170.00 लाख एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 234.69 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चार माह हेतु (अप्रैल, 2026 से जुलाई, 2026 तक) अनुदान सं0-21 में लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-0401-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) की मद में धनराशि रू0 56.50 लाख (रू0छप्पन लाख पचास हजार मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) की मद में धनराशि रू0 58.00 लाख (रू0 अट्ठावन लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 रू0 114.50 लाख (रूपये एक करोड चौदह लाख पचास हजार मात्र ) की अधोलिखित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

**अनुदान सं0-21 लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013**

**0401-राज्य खाद्य आयोग**

| क्र0सं0 | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | 20-सहायता अनुदान-सामान्य( गैर वेतन ) | 56.50 |
| 2. | 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन ) | 58.00 |
| योग- | | 114.50 (रूपये एक करोड चौदह लाख पचास |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | |
|---|---|
| | हजार मात्र ) |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा ।

(2 आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा । किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जाएगी । यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह समर्पित कर दी जाएगी ।

(5) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि एक ही कार्ययोजना हेतु दोहरी वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने पाये।

(7) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियन्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(8) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलो/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(9) शासकीय स्तर पर मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी ) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10)उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रतिमाह पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नही किया जायेगा। ताकि राज्य स्तर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्तपन्न न हो।

(11)आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12)विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिये विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था करेंगे, तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

(13)जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमे स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, उसमे स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में ) के साथ संबंधित अनुदान संख्या/मतदेय/भारित का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(14)बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय ( 1 ) रुपये 56,50,000 ( रुपये छप्पन लाख पचास हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 021 लेखा शीर्षक 2408010010401 राज्य खाद्य आयोग मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) ( 2 ) रुपये 58,00,000 ( रुपये अट्ठावन लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 021 लेखा शीर्षक 2408010010401 राज्य खाद्य आयोग मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

राज कुमार झा
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त ( व्यय-नियंत्रण ) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त ( आय-व्ययक ) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।